

(b) whether it is also a fact that the construction activity has suffered because of Urban Land Ceiling Act and lakhs of construction workers have been rendered unemployed;

(c) whether Government propose to amend the Urban Land Ceiling Act; if so when; and

(d) if not, what are the reasons therefor?

THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING (SHRI ABDUL GHAFOOR):

(a) and (b) Yes, Sir. However, it is difficult to say as to what extent the Urban Land (Ceiling & Regulation) Act, 1976 has contributed in rendering construction workers unemployed.

(c) Proposals for amending the Urban Land (Ceiling & Regulation) Act, 1976 with a view to removing the difficulties in its implementation are in process and the amending bill will be introduced as soon as the requisite formalities are completed.

(d) Does not arise.

Registration of workers under RLEGP

673. SHRI DHULESHWAR MEENA: Will the Minister of AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether Government are considering a scheme to register workers under the Rural Landless Employment Guarantee Programme to achieve the target of 100 days of employment for each landless worker per year; and

(b) if so, what are the broad outlines of the scheme?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT (SHRI CHANDULAL CHANDRAKAR): (a) Yes, Sir.

(b) The modalities of the scheme are being worked out.

“प्रयोगशाला से फार्म” योजना के अधीन प्रयोगशालाएं

674. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :

क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में “प्रयोगशाला से फार्म” योजना के अधीन चलायी जा रही प्रयोगशालाओं की संख्या क्या है और उनमें से कितनी प्रयोगशालाएं बिहार में हैं ;

(ख) जब से यह योजना लागू हुई है तब से इस योजना पर हुए व्यय का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना के अन्तर्गत किसानों और भूमिहीन लोगों को कौन लाभ पहुंचा है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री (श्री बट्टा सिंह) : (क) देश में प्रयोगशाला से खेत तक कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्य करने वाले केन्द्रों की कुल संख्या 115 है। बिहार में 11 केन्द्र हैं।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है उसे राज्य सभा के पटल पर रख दिया जाएगा।

(ग) इस कार्यक्रम के दूसरे चरण (1982-84) के दौरान 67,875 कृषक परिवारों को इसमें शामिल किया गया जिनमें से 8960 (13.20%), 34686 (51.10%), 24016 (35.38%) और 213 (0.31%) क्रमशः भूमिहीन, सीमान्त किसान, छोटे किसान और दूसरे वर्ग के लोग हैं। अधिकांश मामलों में प्रयोगशाला से खेत तक कार्यक्रम से कृषकों को सक्षम कृषि प्रौद्योगिकियों के बारे में जागरूकता और निपुणता के रूप में लाभ मिला है, और उनके उत्पादन/आय में वृद्धि 50 से 200 प्रतिशत की हुई है।